UPBG010012962026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।
उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.
जे.ओ.कोड सं. यू.पी. 1909

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–469/2026

1. कशिश पुत्र जग्गु, निवासी ग्राम निठौरा, थाना लोनी, जिला गाजियाबाद।
...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–221/2025
धारा–109, 352, 3(5), 55 B.N.S.,
थाना–खेकडा,
जिला बागपत।

दिनांकः–10–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त कशिश की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त मुकदमा अपराध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ कृष्णा पत्नी राजा का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।** अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। उसने वादी मुकदमा के उपर जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सह–अभियुक्त तरूण उर्फ रॉकी का जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रिंस ने दिनांक 15.07.2025 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 15.07.2025 की सुबह करीब छः बजे वह अपने घर से डगरपुर तिगरी मार्ग पर दौड लगा रहा था, तभी पीछे से काले रंग की एक स्पलेंडर मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति उससे आगे निकले और अपनी मोटरसाईकिल उसके आगे रोक कर पीछे बैठे व्यक्ति तरूण उर्फ रोकी पुत्र दिलराज ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर उसके उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, फिर तुरंत दोबारा रांउड भकर फायर करने से पहले रोकी ने कहा कि साले कशिश पुत्र जग्गू से पंगा लेगा तो तेरा यही हाल होगा। वह तुरन्त नीचे लेट गया, जिससे वह बाल–बाल बच गया। वह रोकी को पहले से जानता है, दूसरे व्यक्ति का नाम प्रशांत है। उसके शोर मचाने पर उक्त लोग मौके से बाईक लेकर भाग गये।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.10 16:24:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है तथा उसके द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त घटना कारित की गयी है तथा सह–अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वादी बाल–बाल बच गया। सह–अभियुक्त की गिरफतारी के समय उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर, चार जिन्दा कारतूस व दो खोखा कारतूस 315 बोर पुलिस द्वारा बरामद किये गये हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा थाने से प्राप्त आख्या व समस्त पत्रावली/केसडायरी का परिशीलन किया।

घटना दिनांक 15.07.2025 के सम्बन्ध में वादी प्रिंस द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 15.07.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 15.07.2025 की सुबह करीब छः बजे वह अपने घर से डगरपुर तिगरी मार्ग पर दौड लगा रहा था, तभी पीछे से काले रंग की एक स्पलेंडर मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति उससे आगे निकले और अपनी मोटरसाईकिल उसके आगे रोक कर पीछे बैठे व्यक्ति तरूण उर्फ रोकी पुत्र दिलराज ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर उसके उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, फिर तुरंत दोबारा रांउड भकर फायर करने से पहले रोकी ने कहा कि साले कशिश पुत्र जग्गू से पंगा लेगा तो तेरा यही हाल होगा। वह तुरन्त नीचे लेट गया, जिससे वह बाल–बाल बच गया। वह रोकी को पहले से जानता है, दूसरे व्यक्ति का नाम प्रशांत है। उसके शोर मचाने पर उक्त लोग मौके से बाईक लेकर भाग गये।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। सह–अभियुक्तगण प्रार्थी/अभियुक्त का नाम लेते हुए वादी मुकदमा प्रिंस पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा सह–अभियक्त की गिरफतारी के समय उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर, चार जिन्दा कारतूस व दो खोखा कारतूस 315 बोर पुलिस द्वारा बरामद किये जाने का अभियोग है। तथाकथित फायरिंग की घटना में वादी मुकदमा को कोई चोट आना दर्शित नहीं किया गया है, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी को बाल–बाल बचने का उल्लेख किया गया है। सह–अभियुक्त तरूण उर्फ रॉकी का जमानत प्रार्थना –पत्र सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कशिश की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत मुचलका व समान राशि के दो प्रतिभू पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्ट अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।

4. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांकः–10.03.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P.1909